भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3359
12.07.2019 को उत्तर के लिए

विश्व पर्यावरण दिवस

3359. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में देश में विश्व पर्यावरण दिवस, 2019 मनाया गया;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विषय-वस्तु क्या थी;
(ग) विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्लास्टिक का अत्याधिक उपयोग हमारे महासागरों को प्रदूषित कर रहा है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है और मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न कर रहा है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए जा रहे हैं; और
(च) सरकार द्वारा स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जन भागीदारी उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : जी हां । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एफओईएफसीसी) मंत्रालय ने 5 और 6 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया । इस साल का थीम ''वायु प्रदूषण'' था ।

(ग) विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

(1) 5 जून, 2019 को पौधे लगाए गए और एक अभियान # सेल्फी विद सेपलिंग सर्वश्रेष्ठ सेल्फी के पुरस्कार के साथ शुरु किया गया ।

(2) 6 जून, 2019 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है-

(i) वायु प्रदूषण के विषय पर एक थीम सौंग 'हवा आने दे' रिलीज़ किया गया।

(ii) दो पुस्तकें नामत: (i) प्लांट डिस्कवरीज-2018 (ii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा भारत के ऑरचिड,कोलकता और दो किताबें नामत: (i) एनिमल डिसकवरीज-2018 (ii) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेंग्रोव पारि-प्रणाली के फॉनल डायवर्सटी, कोलकाता में जारी किया गया ।

(iii)बाघों के विशिष्ट मामला प्रणाली - गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रारंभित की गई थी ।

(iv) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा निर्मित दो फिल्में नामत: दि ग्रेट निकोबार और ईस्ट कोलकाता वेटलेंड्स रिलीज की गईं ।

(v) प्रदूषण पर एक लघु फिल्म प्रतियोगिता और महोत्सव का शुभारंभ, नई दिल्ली में सीएमएस वातावरण के सहयोग से किया गया ।

(vi) विषय पर आधारित तीन विषयगतसत्र : (i) वायु प्रदूषण (ii) अपशिष्ट प्रबंधन (iii) वन शहरों के हरित क्षेत्र आयोजित किए गए।

(vii) वायु प्रदूषण के निवारण और उपशमन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनसीएपी) के भाग के रूप में राज्यों, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अभिज्ञात शैक्षिक संस्थानों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया । देश भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम जैसे मैराथन, प्रदर्शनी, पोस्टर/पेंटिंग प्रतियोगिताएं, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए ।

(घ) और (ड.) सरकार समुद्रों के प्लास्टिक प्रदूषण और उससे समुद्री जीवन और मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावन से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूर्व प्लास्टिक उपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अधिक्रमण में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं । इसके अलावा, नियमों में किया गया संशोधन मार्च 2018 में अधिसूचित किया गया था । नियमों के अनुसार, कैरी बैग और प्लास्टिक शीट जो वर्जिन या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बनी हो, 50 माइक्रोन से की की मोटाई के न हों । अपशिष्ट के सृजनकर्ताओं को प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को ना फैलाने, स्रोत पर अपशिष्टों के अलग-अलग भंडारण सुनिश्चित करने और स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत स्थानीय निकायों या एजेंसियों को अलग किए गए अपशिष्ट सौंपने के लिए कदम उठाने के अधिदेश दिए गए हैं । इन नियमों में स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट सृजनकर्ताओं, फुटकर विक्रेताओं आदि को ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु अपनी जिम्मेदारियों के लिए अधिदेशित किया गया है । इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तारित उत्पादक दायित्व के सिद्धांतों के आधार पर अपशिष्ट एकत्रण प्रणाली के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रैंड मालिकों को तौर-तरीके ढूँढने के अधिदेश दिए गए हैं ।

(च) सरकार स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय कर रही है । विवरण इस प्रकार हैं :

(i) पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण योजना को को इस उद्देश्य के साथ कार्यान्वित कर रही है कि वह समाज के सभी वर्गों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके । मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग एक लाख स्कूल इको-क्लब के रूप में पहचाने गए हैं, जिसमें लगभग तीस लाख विद्यार्थी विभिन्न पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण गतिविधियों में बढ़चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिसमें पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित मामले,नदी जल, समुद्री जल प्रदूषण के पहलू शामिल हैं ।

(ii) जनवरी, 2018 में मंत्रालय ने हरित अच्छे कार्य (जीजीडी) आंदोलन शुरु किया जो एक सामाजिक आंदोलन है जिसका लक्ष्य समाज के सभी स्तरों में सामूहिक पर्यावरणीय जागरूकता लाना है ।

(iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा विभिन्न जन संपर्क गतिविधियों, थीम आधारित प्रदर्शनियों और दीर्घाओं को समय-समय पर आयोजित करना ।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण के लिए दूरदर्शन, लोकसभा टी.वी., एफएम चैनल, डिजिटल सिनेमा, टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से श्रव्य-दृश्य क्रिएटिव को प्रसारित करता है । प्रिंट मीडिया में आउटडोर प्रचार अभियान और विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए । सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक आदि भी जागरूकता बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं ।

(v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने 10-13 फरवरी, 2018 से दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान शुरु किया । यह अभियान दिल्ली में सामान्य जनता को वायु गुणवत्ता में सुधान लाने हेतु अपनी भूमिका को समझने और जमीनी स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और इसके साथ-साथ वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपायों को लागू करने का भी लक्ष्य रखता है ।

(vi) 'समीर' एप को शुरु किया गया जिसमें जनता को वायु गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ वायु प्रदूषणकारी कार्यकलापों के संबंध में शिकायतें दर्ज कराने का प्रावधान है ।

*****